न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 16 / 2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2021 / 68

उनवान

1. श्री देवीलाल उर्फ देवजी पिता स्व. भीमाजी डॉगी पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी झल्लारा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री रामलाल पिता भीमाजी डॉगी उम्र 34 वर्ष निवासी झल्लारा एवं गोदी पुत्र लालु पिता देवींग डॉगी पटेल निवासी झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमति भुरीबाई बेवा भीमजी डॉगी पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी झल्लारा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादीगण

विरूद्ध

1. श्री लालु पिता देवींग डॉगी पटेल उम्र 57 वर्ष निवासी झल्लारा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 29/04/2026

उपस्थितिः श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता–वादी
एक पक्षीय–प्रतिवादीगण

वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि–वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 एक सभी एक ही खानदान के है जिनके खानदान का सजरा निम्न प्रकार है जो मूल पुरुष देवींग पिता कचरा डॉगी निवासी झल्लारा तहसील सलूम्बर के वंशज है जिनके खानदान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या 1 में दर्शित अनुसार है। उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष देवींग जब 7–8 वर्ष का बालक था तब उनके पिता कचरा डॉगी पटेल निवासी झल्लारा का निधन हो गया एवं स्व देवींगजी के 2 दो पुत्र पैदा हुए जो स्व. भीमा बडा पुत्र था जिनका निधन तारीख 13–12–2020 को हे गया एवं भीमा के 2 दो पुत्र वादी नं. 1 एक देवीलाल उर्फ देवजी व छोटा पुत्र रामलाल वादी नं. 2 दो है। प्रतिवादी नं. 1 एक ने हिन्दू रिति रिवाज से वादी नं. 2 दो रामलाल को तारीख 27–5–2011 को गोद लिया एवं गोदनमा का पंजीयन दिनांक 27–5–2011 को कराय। डॉगी पटेल समाज में खुनी रिश्ते में बालिग व्यक्ति को गोद लेने का सैकडों वर्षों पुराना रिवाज है जिसे जाति मान्यता प्राप्त है उसी रिवाज से वादी नं 2 दो को प्रतिवादी नं. 1 एक ने गोद लिया था।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(क) कि मौजा झल्लारा तहसील सलूम्बर की मेवाड़ राज्य की प्रथम पैमाईश संवत् 1966 में समाप्त हुई थी तब खाता नं. 47 में सा. आराजी नम्बर 173, 274, 301, 661, 673, 683 कुल खेत 6 रकबा 88 बीघा 3 तीन बिसवा खाते चढी जिसमें स्व देवींग का 1/4 एक बटा चार हिस्सा था।

(ख) खाता नं. 35 की निम्न भूमि स्व. देवींग पिता कचरा डॉगी अकेले के खाते चढी थी जिसके सा.आ.नं. 269, 279, 305, 306, 307, 314, 315, 316, 317, 329, 337, 339, 341, 342, 344, 365, 568, 571, 580/1, 590, 666, 675, 790, 1336 कुल खेत 24 रकबा 17 बीघा 14 बिसवा लगानी 37 रू. 8 आठ आना का एकमात्र खातेदार काश्तकार थे।

(ग) कि खाता नं. 106/2 की भूमि सा.आ.न. 256 रकबा 7 बिसवा के खातेदार स्व. देवींग थे।

वाद पत्र की कम संख्या 2 ख में वर्णित भूमि के अलावा स्व. देवींग पिता कचरा ने अलग से खरीद कर एवं एलोट कराई भूमि के हाल पैमाईश संवत् 2047 के बाद आधार वर्ष में निम्न खातों की भूमि के एकमात्र खातेदार स्व देवींग पिता कचरा डॉगी अकेले थे। खाता नं. 76 आधार वर्ष की संवत् 2046 की जमाबंदी के अनुसार हाल आराजी नम्बर 463, 464, 476, 477, 480, 487, 489, 540, 550, 551, 552, 563, 564, 567, 568, 577, 578, 1130, 1135, 1136, 1139, 1166, 1168, 1609, 2107, 2108, 2109, 2183, 2189, 2205, 2234, 2235, 2236, 2392, 3351/2188 कुल खेत 42 रकबा 8.36 हे लगानी 60 रू. 5 पैसे के एकमात्र खातेदार काश्तकार थे। उक्त वर्णित भूमि में से स्व. खातेदार देवींग पिता कचर डॉगी ने अपने सगे पोते दोनो वादीगण को तारीख 2–8–2010 को वसीयत कर दी एवं वसीयत पत्र को उसी दिन सब रजि. कार्यालय सलूम्बर में वसीयत पत्र को पंजीयन करा दिय एवं वसीयतकर्ता खातेदार स्व. देवींगजी का निधन तारीख 7–9–2018 को हो गया एवं देवींगजी के निधन के तुरन्त बाद दोनो वादीगण वसीयत की गई कृषि भूमि जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र के साथ संलग्न परि.नं. 1 एक में वर्णित भूमि कीता 37 रकबा 8.07 हे. लगानी 58.82 रू. के बराबर बराबर हिस्से से एकमात्र खातेदार काश्तकार हो गये एवं मौके पर दोनो वादीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु दोनो वादीगण के नाम पटवारी हल्का झल्लारा ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत नहीं कर अवैद्य रूप से वादीगण के स्वर्गीय पिता स्व. भीमा एवं प्रतिवादी न. 1 एक चाचा लालू के नाम इन्तकाल नं 966 तारीख 3–9–2020 को स्वीकृत कर दिया जो पूर्ण रूप से अवैद्य है क्योकि जब वादग्रस्त कृषि भूमि संवत् 1996 में आज से 81 वर्ष पूर्व स्व देवींगजी के खाते चढी जब न तो उनके पिता कचराजी जिन्दा थे नही प्रतिवादी नं. 1 एक लालूजी व वादीगण के पिता भीमा पैदा हुए थे यानि वादीगण को जो भूमि स्व. खातेदार एवं वादीगण के दादाजी स्व. देवींगजी ने वसीयत की उसमें से आ.नं. 1135/0.07. 1136/0.05, 1166/0.01, 1167/0.01 कुल खेत 4 रकबा 0.1400 हैक्अेयर या तो नहर में चली गई है अथवा अन्य को स्व. देवींगजी ने हस्तान्तरण अपने जीवनकाल में कर दी थी इसलिये उक्त भूमि वादग्रस्त नही है। वादीगण सिर्फ परि.नं. 1 एक में वर्णित भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार है इसकी घोषणा कराने का यह वाद प्रतिवादी नं. 1 एक के विरूद्ध पेश कर रहे है।

स्व. भीमाजी वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी नं. 1 एक लालुजी चाचा ने मिलकर स्व. खातेदार देवींग पिता कचराजी के खाते की कुलिया भूमि का विरासत का इन्तकाल नं. 966 तारीख 2–8–2020 को स्वीकृत करा कर प्रतिवादी नं 1 एक ने इस वाद पत्र के साथ संलग्न परि.नं. 3 तीन में वर्णित भूमि कीता 4 रकबा 1.55 हे. का 1/4 एक बटा चार हिस्सा, परि.न. 4 चार में वर्णित भूमि कीता 1 रकबा 0.27 हे. का 1/12 एक

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बटा बारहवा हिस्सा एवं परि.नं. 5 पाँच में वर्णित भूमि कीता 6 रकबा 1.9300 हे. का 1/6 एक बटा 6 छः हिस्सा एवं परि.नं. 6 छः में वर्णित भूमि कीता 1 एक रकबा 0.17 हे. का 1/12 हिस्सा तथा परि.न. 7 सात में वर्णित भूमि कीता 4 रकबा 0.76 हे. का 1/12 हिस्सा व परि.नं. 8 आठ की भूमि कीता 4 रकबा 0.13 हे. का 1/4 एक बटा चार हिस्सा व परि 9 की आ.नं. 483 रकबा 0.0200 हे. कुआ का 1/10 एक बटा दसवा हिस्सा यानि परि.नं. 1 एक एवं 3 तीन से 9 नौ तक में वर्णित भूमि को प्रतिवादी नं. 1 एक ने अपने बडे भाई स्व. भीमा पिता देवींग को हक त्याग से तारीख 6–10–2020 को दे दी एवं हक त्याग पत्र को सब रजि. कार्यालय झल्लारा में पंजीयन करा दिया एवं स्व. भीमाजी का तारीख 13–12–2020 को निधन हो जाने से परिनं 3 तीन से 9 नौ तक में वर्णित कृषि भूमि स्व. भीमाजी को अपने छोटे भाई लालुजी से हक त्याग पत्र से प्राप्त हुई जिससे उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार भीमाजी के निधन के बाद उनके वारिश वादी नं. 1 एक एवं वादी नं. 3 तीन हो गये है एवं परि.नं. 3 तीन से 9 नौ तक में वर्णित भूमि में जितना हिस्सा प्रतिवादीन नं. 1 एक का था उसका हक त्याग पत्र अपने बडे भाई भीमा के पक्ष में करने से एवं भीमा के निधन के बाद भीमाजी के वारिश वादी नं. 1 एक एवं वादी नं. 3 तीन एकमात्र खातेदार काश्तकार हो गये है। इसकी घोषणा कराने का वादीगण यह वाद पेश कर रहे है। वाद पत्र के साथ परि.नं. 3 तीन से 9 नौ तक की भूमि का प्रतिवादी नं. 1 एक द्वारा स्व. भीमा के पक्ष में हक त्याग करने के बाद वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नं. 1 एक का अब कोई हक, हिस्सा, स्वमित्व एवं आधिपत्य आदि शेष नहीं रहा है।

वादपत्र के साथ संलग्न परि.नं. 2 दो में वर्णित भूमि खाता नं. 372 वर्ष संवत् 2075 से 2078 की जमाबंदी की भूमि कीता 8 रकबा 0.6300 है. लगानी 3.93 रू. स्व. भीमा एवं प्रतिवादी नं. 1 एक लालु को अपने पिता स्व. देवींग से विरासत में प्राप्त हुई है। इस भूमि को न तो स्व. देवींग ने किसी प्रकार हस्तान्तरण की है एवं नही प्रतिवादी नं. 1 एक ने हस्तान्तरण की है इसलिये परि.नं. 2 दो की भूमि में पक्षकारों के निम्न हिस्से रहेंगे। स्व. भीमा पिता देवींग का हिस्सा 1/2 आधा हिस्सा एवं भीमा के निधन के बाद भीमा के वारिश वादी नं 1 एक व 3 तीन का 1/2 आधा हिस्सा की घोषणा कराने का यह वाद पेश है एवं शेष 1/2 आधा हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक का है जो उनके खाते में रहेगा। परि. नं 1 व 3 तीन से 9 नौ तक में वर्णित कृषि भूमि का वसीयत एवं हक त्याग का इन्तकाल स्व. भीमा के वारिश वादी नं. 1 एक वादी नं. 3 तीन के नाम स्वीकृत नहीं होने से तथा प्रतिवादी नं 1 एक का वादग्रस्त भूमि में अवैद्य रूप से नाम दर्ज हो जाने से उसका नाजायज लाभ उठाकर वादग्रस्त भूमि हस्तान्तरण करना चाहता है इसलिये वादीगण अब प्रतिवादी नं. 1 एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। परि.नं. 2 दो से 9 तक में वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदारों से वादीगण हिस्सा नहीं मांगते है इसलिये खाते में इन सहखातेदारों के हिस्से बदस्तुर कायम रहेंगे इसलिये इनको पक्षकार इस वाद में नहीं बनाया है। वाद हेतु सर्वप्रथम तारीख 3–9–2020 को अवैध इन्तकाल वादीगण को वसीयत की गई भूमि का प्रतिवादी नं. 1 एक ने इन्तकाल स्वीकृत कराय एवं तारीख 1–2–2021 को भूमि खाते कराने से मना किया उस दिन उत्पन्न हुआ जिससे यह बाद अवधि में पेश है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी नं. 1 एक के विरुद्ध निम्न प्रकार की डिकी प्रदान कराई जायें–

(क) कि मौजा एवं पटवार हल्का झल्लारा तहसील सलूम्बर की हाल नया खाता नं 156 पुराना खाता नं. 145 की भूमि कीता 37 रकबा 8.070 हैक्टेयर लगानी 58. 82 रूपये जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परि.नं. 1 एक में दे रखा है उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज दोनो वादीगण को घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड से स्व. भीमा पिता देवींग एवं प्रतिवादी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नं. 1 एक लालु पिता देवींग का नाम हटाया जावे एवं दोनो वादीगण के खाते उक्त भूमि बराबर–बराबर हिस्से से दर्ज कराई जावें।

(ख) कि परि.नं. 2 दो में वर्णित हाल खाता नं 372 की भूमि कीता 8 रकबा 0.6300 हैक्टेयर लगानी 3.93 रूपये की 1/2 आधी भूमि वादी नं. 1 एक वादी नं. 3 तीन की घोषित फरमाई जावे एवं शेष 1/2 आधी भूमि प्रतिवादी नं. 1 एक के खाते में रखी जायें।

(ग) कि वाद पत्र के साथ संलग्न परि.नं. 3 तीन की भूमि खाता नं. 155 की कीता 4 रकबा 1.55 हैक्टेयर लगानी 0.91 रूपये में जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/4 एक बटा चार हिस्सा एवं परि.नं. 4 चार में वर्णित खाता नं. 78 की भूमि कुल कीता 1 एक रकबा 0.2700 हे. लगानी 8 पैसे में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/2 आधा हिस्सा एवं परि.नं. 5 पाँच में वर्णित खाता नं. 80 की भूमि कीता 6 रकबा 1.9300 हे. लगानी 5.85 रूपये में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/6 एक बटा छः हिस्सा एवं परि.नं. 6 छः में वर्णित खाता नं. 81 की भूमि कीता 1 एक रकबा 0.7100 हे. लगानी 0.21 रू. में प्रतिवादी नम्बर 1 एक के नाम 1/12 एक बटा बारह हिस्सा एवं परि.नं. 8 आठ में वर्णित खाता नम्बर 157 मे वर्णित भूमि किता 4 रकबा 0.3100 है. लगानी 30 पैसे में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/4 एक बटा चार हिस्सा व परि.नं. 9 नौ में वर्णित आ.चा.नं. 483 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुआ में प्रतिवादी नं. 1 एक का 1/10 एक बटा दस हिस्सा है इसका एकमात्र बराबर बराबर हिस्से वादी नं. 1 एक व वादी नं. 3 तीन को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

(घ) कि माफिक घोषणा परि.नं. 3 तीन से 9 नौ तक में जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त हिस्सा वादी नं. 1 एक व वादी नं. 3 तीन के खाते दर्ज फरमाया जावें।

(ङ०) कि स्व. खातेदार भीमा पिता देवींग के नाम जो हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है वह भूमि स्व. भीमा के वारिशों के नाम दर्ज की जाये।

(च) कि प्रतिवादी नं. 1 एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका पूर्ण विवरण परि.नं. 1 एक से 9 नौ तक में दे रखा है उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादी नं 1 एक दस्तनदाजी नहीं करे एवं नहीं उक्त भूमि को हस्तान्तराण करे एवं नहीं बर्बाद करे एवं नही उक्त कार्य अपने परिजनों, नौकरों, मजदूरों से करावें।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र की प्रति के साथ तलवी हेतु सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी को समुचित समन जारी किया गया, परंतु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए। आदेशिका दिनांक 22–03–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी सं. 1 एक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत नही किया इसलिये प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण ने वादपत्र पुष्ठि मे पी.डब्ल्यू. 1 रामलाल, पी.डब्ल्यू. 2 श्रीमती भुरी, पी.डब्ल्यू. 3 गलजी, पी.डब्ल्यू. 4 वालजी के शपथपत्र पेश किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेज पेश किये–

प्रदर्श 1– असल वसीयत पत्र एवं फोटो प्रति प्रदर्श 1A,
प्रदर्श 2– असल हकत्याग पत्र एवं फोटो प्रति प्रदर्श 2A,
प्रदर्श 3– असल गोदनामा एवं फोटो प्रति प्रदर्श 3A,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रदर्श 4– नक्शा ट्रेस
प्रदर्श 5– जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 खाता संख्या 145
प्रदर्श 6– संवत् 2069 से 2072 गिरदावरी
प्रदर्श 7– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 156
प्रदर्श 8– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 372
प्रदर्श 9– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 155
प्रदर्श 10– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 78
प्रदर्श 11– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 80
प्रदर्श 12– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 81
प्रदर्श 13– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 135
प्रदर्श 14– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 157
प्रदर्श 15– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 378
प्रदर्श 16– मिलान क्षैत्रफल
प्रदर्श 17– मिलान क्षैत्रफल
प्रदर्श 18– जमाबंदी संवत् 2047 की प्रमाणित नकल
प्रदर्श 19– भीमा पटेल का मृत्यु प्रमाण पत्र
प्रदर्श 20– देवींग पटेल का मृत्यु प्रमाण पत्र
प्रदर्श 21 से 24 –जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट की प्रमाणित प्रति

प्रतिवादी संख्या 1 एक बावजुद सूचना के न तो न्यायालय मे हाजिर आया नही कोइ जवाब अथवा दस्तावेज पेश किये एवं तारीख 22–03–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 एक हाजिर नही आये एवं न्यायालय ने प्रतिवादी को बार–बार आवाजे लगाई गई उसके उपरान्त कोई पेशी पर उपस्थित नही हुआ था इसलिये इस प्रकरण मे न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया है एवं इस प्रकरण मे वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे वादपत्र वर्णित कथनो को दौहराया तथा दावा डिक्री किये जाने का निवदेन किया।

बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी को समुचित समन जारी किया गया, परंतु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब /दस्तावेज प्रस्तुत किए। अतः दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रारंभ की। वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष एवं वाद के निस्तारण हेतु यह देखना आवश्यक है कि क्या वादीगण विवादित भूमि के वैधानिक स्वामी हैं? तथा क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा के पात्र हैं?

वादीगण के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि परिशिष्ट नम्बर 1 मौजा एवं पटवार हल्का झल्लारा के प्रदर्श 5 खाता संख्या 156 कुल किता 37 रकबा 3.07 हैक्टेयर भूमि देवींग पिता कचरा डांगी के खाते दर्ज थी जिसे खातेदार देवींग पिता कचरा डांगी ने जरिये पंजीकृत वसीयत पत्र के दिनांक 02.08.2010 को वादी संख्या 1 एक देवीलाल व वादी संख्या 2 दो रामलाल के पक्ष मे वसीयत कर दी विवादित भूमि मूल रूप से देवींग पिता कचरा डांगी के खाते की थी, जिसने 02.08.2010 को वादीगण को जरिये पंजीकृत वसीयत पत्र के माध्यम से वैध रूप से वसीयत की गई जिसका पंजीकरण विधिसम्मत होना जाहिर होता है तथा इन्तकाल नम्बर 966 देवींग पिता कचरा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से इन्तकाल बिना अधिकार है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

परिशिष्ट नम्बर–2 प्रदर्श 8 की भूमि मे भीमा के वारिसान वादी संख्या 1 एक व वादी संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा रहेगा क्योंकि प्रदर्श 3 से वादी संख्या 2 रामलाल प्रतिवादी 1 लालु के गोदपुत्र रहा है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लालु का 1/2 हिस्सा रहेगा। परिशिष्ट नम्बर 3 से लगाकर 9 तक (प्रदर्श 9 से लगायत 15 तक) की भूमि मेसे खातेदार लालु पिता देवींग ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से तारीख 07–10–2020 को अपने बडे भाई भीमा के पक्ष में हक त्यागकर दिया इसलिये प्रदर्श 9 से लगायत 15 तक के खातों की भूमि में की भूमि में वादी संख्या 1 एक एवं वादी संख्या 3 तीन का कुल हिस्सा = भीमा से विरासत से प्राप्त हुआ हिस्सा + भीमा को लालु पिता देंवीग से हकत्या से प्राप्त हिस्सा रहेगा। तथा उक्त प्रदर्श 9 से लगायत 15 तक के खातों की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना हिस्सा बडे भाई भीमा का हकत्याग कर देने से अब उसका कोई हिस्सा शेष नही है तथा शेष खातेदारों के हिस्से बदस्तुर कायम रहेगें। प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण वादीगण का कथन अविवादित (Unrebutted) रहा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पर्याप्त हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि वादीगण की है। वादीगण वर्तमान में भूमि के वैधानिक स्वामी एवं कब्जाधारी हैं। अतः उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना न्यायोचित है। प्रतिवादी अनुपस्थित रहा और अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः वादीगण का वाद प्रमाणित पाया गया। अतः वादीगण का वाद बाबत् घोषणा कराने खातेदारी हक एव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि–

1. मौजा एवं पटवार हल्का झल्लारा तहसील सलूम्बर की हाल नया खाता नं 156 पुराना खाता नं. 145 की भूमि कीता 37 रकबा 8.070 हैक्टेयर लगानी 58.82 रूपये जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परि.नं. 1 एक में दे रखा है उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज दोनो वादी संख्या 1 एक व 2 दो को घोषित किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड से स्व. भीमा पिता देवींग एवं प्रतिवादी नं. 1 एक लालु पिता देवींग का नाम हटाया जाकर वादी संख्या 1 एक व वादी संख्या 2 दो के खाते उक्त भूमि बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

2. कि परि.नं. 2 दो में वर्णित हाल खाता नं 372 की भूमि कीता 8 रकबा 0.6300 हैक्टेयर लगानी 3.93 रूपये की 1/2 आधी भूमि संयुक्त रूप से वादी नं. 1 एक वादी नं. 3 तीन को खातेदार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/2 आधी भूमि प्रतिवादी नं. 1 एक के खाते में रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

3. वाद पत्र के साथ संलग्न परि.नं. 3 तीन की भूमि खाता नं. 155 की कीता 4 रकबा 1.55 हैक्टेयर लगानी 0.91 रूपये में जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/4 एक बटा चार हिस्सा एवं परि.नं. 4 चार में वर्णित खाता नं. 78 की भूमि कुल कीता 1 एक रकबा 0.2700 हैक्टेयर लगानी 8 पैसे में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/2 आधा हिस्सा एवं परि.नं. 5 पाँच में वर्णित खाता नं. 80 की भूमि कीता 6 रकबा 1.9300 हैक्टेयर लगानी 5.85 रूपये में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/6 एक बटा छः हिस्सा एवं परि.नं. 6 छः में वर्णित खाता नं. 81 की

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भूमि कीता 1 एक रकबा 0.7100 हैक्टेयर लगानी 0.21 रू. में प्रतिवादी नम्बर 1 एक के नाम 1/12 एक बटा बारह हिस्सा एवं परि.नं. 8 आठ में वर्णित खाता नम्बर 157 मे वर्णित भूमि किता 4 रकबा 0.3100 है. लगानी 30 पैसे में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/4 एक बटा चार हिस्सा व परि.नं. 9 नौ में वर्णित आ.चा. नं. 483 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुआ में प्रतिवादी नं. 1 एक का 1/10 एक बटा दस हिस्सा है इसका एकमात्र बराबर बराबर हिस्से वादी नं. 1 एक व वादी नं. 3 तीन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कि माफिक घोषणा परि. नं. 3 तीन से 9 नौ तक में जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त हिस्सा वादी नं. 1 एक व वादी नं. 3 तीन के खाते दर्ज किया जावे। तथा उक्त वर्णित खातो की भूमि में अन्य शेष खातेदारों के हिस्से बदस्तुर कायम रहेगें।

4. प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के आराजीयात की भूमि मे बेजामजाहमत व दखलन्दाजी नही करे।

परि.नं. 1 से लगायत 9 तक उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रत तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 29/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 16/2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2021/68

उनवान

1. श्री देवीलाल उर्फ देवजी पिता स्व. भीमाजी डॉगी पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी झल्लारा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री रामलाल पिता भीमाजी डॉगी उम्र 34 वर्ष निवासी झल्लारा एवं गोदी पुत्र लालु पिता देवींग डॉगी पटेल निवासी झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमति भुरीबाई बेवा भीमजी डॉगी पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी झल्लारा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादीगण

विरूद्ध

1. श्री लालु पिता देवींग डॉगी पटेल उम्र 57 वर्ष निवासी झल्लारा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांकः– 29/04/26

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 29/04/26 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि–

1. मौजा एवं पटवार हल्का झल्लारा तहसील सलूम्बर की हाल नया खाता नं 156 पुराना खाता नं. 145 की भूमि कीता 37 रकबा 8.070 हैक्टेयर लगानी 58.82 रूपये जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परि.नं. 1 एक में दे रखा है उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज दोनो वादी संख्या 1 एक व 2 दो को घोषित किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड से स्व. भीमा पिता देवींग एवं प्रतिवादी नं. 1 एक लालु पिता देवींग का नाम हटाया जाकर वादी संख्या 1 एक व वादी संख्या 2 दो के खाते उक्त भूमि बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

2. कि परि.नं. 2 दो में वर्णित हाल खाता नं 372 की भूमि कीता 8 रकबा 0.6300 हे. लगानी 3.93 रूपये की 1/2 आधी भूमि संयुक्त रूप से वादी नं. 1 एक वादी नं. 3 तीन को खातेदार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/2 आधी भूमि प्रतिवादी नं. 1 एक के खाते में रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

3. वाद पत्र के साथ संलग्न परि.नं. 3 तीन की भूमि खाता नं. 155 की कीता 4 रकबा 1.55 हैक्टेयर लगानी 0.91 रूपये में जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/4 एक बटा चार हिस्सा एवं परि.नं. 4 चार में वर्णित खाता नं. 78 की भूमि कुल कीता

1 एक रकबा 0.2700 हैक्टेयर लगानी 8 पैसे में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/2 आधा हिस्सा एवं परि.नं. 5 पाँच में वर्णित खाता नं. 80 की भूमि कीता 6 रकबा 1.9300 हैक्टेयर लगानी 5.85 रूपये में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/6 एक बटा छः हिस्सा एवं परि.नं. 6 छः में वर्णित खाता नं. 81 की भूमि कीता 1 एक रकबा 0.7100 हैक्टेयर लगानी 0.21 रू. में प्रतिवादी नम्बर 1 एक के नाम 1/12 एक बटा बारह हिस्सा एवं परि.नं. 8 आठ में वर्णित खाता नम्बर 157 मे वर्णित भूमि किता 4 रकबा 0.3100 हैक्टेयर लगानी 30 पैसे में प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1/4 एक बटा चार हिस्सा व परि.नं. 9 नौ में वर्णित आ.चा.नं. 483 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुआ में प्रतिवादी नं. 1 एक का 1/10 एक बटा दस हिस्सा है इसका एकमात्र बराबर बराबर हिस्से वादी नं. 1 एक व वादी नं. 3 तीन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कि माफिक घोषणा परि.नं. 3 तीन से 9 नौ तक में जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त हिस्सा वादी नं. 1 एक व वादी नं. 3 तीन के खाते दर्ज किया जावे। तथा उक्त वर्णित खातो की भूमि में अन्य शेष खातेदारों के हिस्से बदस्तुर कायम रहेगें।

4. प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के आराजीयात की भूमि मे बेजामजाहमत व दखलन्दाजी नही करे।

वादपत्र की परि.नं. 1 से लगायत 9 तक उक्त डिक्री का जूज हिस्सा है। पालनार्थ डिक्री की एक प्रत तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे। इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 29/04/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर